

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2022—श्रावण 14, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2022

क्र. एफ 17-26-2019-ए-ग्यारह.— राज्य शासन, एतद्वारा, विभाग के अधीन विकसित/विकासाधीन एवं अविकसित भूमि के उचित एवं कुशल प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 को संलग्न—एक एवं परिशिष्ट—सी अनुसार संशोधित किया जाता है. इन नियमों के अंतर्गत यदि किसी विभाग के प्रचलित नियम के मापदण्ड परिवर्तित हो रहे हैं तो मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें उस सीमा तक संशोधित माना जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव.

संलग्नक-एक

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 में संशोधन

क्र.	नियम की कण्डिका / उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन / संशोधित कण्डिका																								
1	2	3	4																								
1	कण्डिका (2) की परिभाषा (26)		नवीन भूखण्ड—ऐसा भूखण्ड जो पहली बार ही आवंटन हेतु उपलब्ध हुआ हो।																								
2	कण्डिका (2) की परिभाषा (27)		निरस्त भूखण्ड—ऐसा भूखण्ड जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा लीजडीड निरस्तीकरण आदेश जारी कर दिया गया हो।																								
3	कण्डिका (2) की परिभाषा (28)		ई-बिडिंग—से तात्पर्य विकसित/विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों के भूखण्ड के आवंटन के लिए अपनाई जाने वाली ऑनलाईन प्रक्रिया से है, जिसमें निवेशकों को बिडिंग प्रक्रिया से भूखण्ड का आवंटन किया जाता है।																								
4	कण्डिका (9) (iii)	विकास शुल्क की गणना औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास हेतु आकलित हुए कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से की जायेगी तथा विकास शुल्क भूमि आवंटन के समय एकमुश्त देय होगा।	विकास शुल्क की गणना औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास हेतु आकलित कुल व्यय पर समानुपातिक रूप से की जायेगी। वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त प्रोजेक्ट में विकास शुल्क का निर्धारण प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा संचालक मण्डल की अनुमति से किया जा सकेगा। विकास शुल्क भूमि आवंटन के समय एकमुश्त देय होगा।																								
5	कण्डिका (10) (1) (अ)(ii)	अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट— अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रब्याजी की गणना करने के लिए भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट निम्न सीमा तक दी जावे :-	अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट— अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रब्याजी की गणना करने के लिए भूमि के मूल्य में 50 प्रतिशत की छूट निम्न सीमा तक दी जाये :-																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश (रु.)</th> <th>भूमि का क्षेत्रफल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>10-100 करोड़ तक</td> <td>10 हैक्टेयर तक</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>100 से 500 करोड़ तक</td> <td>20 हैक्टेयर तक</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>500 करोड़ से अधिक</td> <td>40 हैक्टेयर तक</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश (रु.)	भूमि का क्षेत्रफल	1.	10-100 करोड़ तक	10 हैक्टेयर तक	2.	100 से 500 करोड़ तक	20 हैक्टेयर तक	3.	500 करोड़ से अधिक	40 हैक्टेयर तक	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश (₹)</th> <th>भूमि का क्षेत्रफल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>50-100 करोड़ तक</td> <td>10 हैक्टेयर तक</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>100 करोड़ से अधिक 500 करोड़ तक</td> <td>20 हैक्टेयर तक</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>500 करोड़ से अधिक</td> <td>40 हैक्टेयर तक</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश (₹)	भूमि का क्षेत्रफल	1.	50-100 करोड़ तक	10 हैक्टेयर तक	2.	100 करोड़ से अधिक 500 करोड़ तक	20 हैक्टेयर तक	3.	500 करोड़ से अधिक	40 हैक्टेयर तक
क्र.	संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश (रु.)	भूमि का क्षेत्रफल																									
1.	10-100 करोड़ तक	10 हैक्टेयर तक																									
2.	100 से 500 करोड़ तक	20 हैक्टेयर तक																									
3.	500 करोड़ से अधिक	40 हैक्टेयर तक																									
क्र.	संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश (₹)	भूमि का क्षेत्रफल																									
1.	50-100 करोड़ तक	10 हैक्टेयर तक																									
2.	100 करोड़ से अधिक 500 करोड़ तक	20 हैक्टेयर तक																									
3.	500 करोड़ से अधिक	40 हैक्टेयर तक																									
6	कण्डिका (11) (i)	अविकसित भूमि:— अविकसित भूमि हेतु औद्योगिक पार्क की स्थापना के विकासकर्ता/वृहद औद्योगिक इकाई द्वारा संबंधित कार्यकारी	अविकसित भूमि:— अविकसित भूमि हेतु औद्योगिक पार्क के विकासकर्ता/वृहद औद्योगिक इकाई द्वारा संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी में																								

क्र.	नियम की कण्डिका / उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन / संशोधित कण्डिका																		
1	2	3	4																		
		संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन एवं चेकलिस्ट के अनुसार अन्य अभिलेख, आवेदन शुल्क की राशि रूपये 10,000/- जमा करेगा। संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी आवेदन का परीक्षण, आवेदित भूमि की पात्रता, प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा कराकर, भूमि की पात्रता निर्धारित कर आवेदन को अनुशंसा सहित प्रबंध संचालक, एमपीआयडीसी को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।	निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन एवं चेकलिस्ट के अनुसार अन्य अभिलेख सहित आवेदन शुल्क जमा करेगा। आवेदन शुल्क का निर्धारण क्षेत्रफल के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा :- <table border="1" data-bbox="938 607 1366 1093"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>भूमि का क्षेत्रफल</th> <th>आवेदन शुल्क</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>02 हैक्टेयर तक</td> <td>₹ 20,000+ जी.एस.टी</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02 हैक्टेयर से अधिक 05 हैक्टेयर तक</td> <td>₹ 50,000+ जी.एस.टी</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>05 हैक्टेयर से अधिक 10 हैक्टेयर तक</td> <td>₹ 1,00,000+ जी.एस.टी</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10 हैक्टेयर से अधिक 20 हैक्टेयर तक</td> <td>₹ 2,00,000+ जी.एस.टी</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20 हैक्टेयर से अधिक</td> <td>₹ 5,00,000+ जी.एस.टी</td> </tr> </tbody> </table> <p>संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का 30 दिवस में परीक्षण कर, आवेदित भूमि की पात्रता निर्धारित कर आवेदन को अनुशंसा सहित प्रबंध संचालक, एमपीआयडीसी को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा। आवेदन शुल्क एवं जी.एस.टी. की भुगतान की गई राशि वापसी योग्य नहीं होगी।</p>	क्र.	भूमि का क्षेत्रफल	आवेदन शुल्क	1	02 हैक्टेयर तक	₹ 20,000+ जी.एस.टी	2	02 हैक्टेयर से अधिक 05 हैक्टेयर तक	₹ 50,000+ जी.एस.टी	3	05 हैक्टेयर से अधिक 10 हैक्टेयर तक	₹ 1,00,000+ जी.एस.टी	4	10 हैक्टेयर से अधिक 20 हैक्टेयर तक	₹ 2,00,000+ जी.एस.टी	5	20 हैक्टेयर से अधिक	₹ 5,00,000+ जी.एस.टी
क्र.	भूमि का क्षेत्रफल	आवेदन शुल्क																			
1	02 हैक्टेयर तक	₹ 20,000+ जी.एस.टी																			
2	02 हैक्टेयर से अधिक 05 हैक्टेयर तक	₹ 50,000+ जी.एस.टी																			
3	05 हैक्टेयर से अधिक 10 हैक्टेयर तक	₹ 1,00,000+ जी.एस.टी																			
4	10 हैक्टेयर से अधिक 20 हैक्टेयर तक	₹ 2,00,000+ जी.एस.टी																			
5	20 हैक्टेयर से अधिक	₹ 5,00,000+ जी.एस.टी																			
7	कण्डिका (12) (i)	अविकसित भूमि:-अविकसित औद्योगिक भूमि हेत प्राप्त आवेदनों का निराकरण समयक तथ्यों के आधार पर होगा। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पश्चात आशय पत्र/आवंटन आदेश जारी करने की स्वीकृति प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी के द्वारा दी जायेगी। प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी की स्वीकृति पश्चात आशय पत्र, आवंटन आदेश एवं लीज डीड का निष्पादन संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, एमपीआईडीसी द्वारा किया जावेगा।	अविकसित भूमि:-सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी द्वारा तत्काल किन्तु अधिकतम 07 कार्य दिवस में मांगपत्र जारी किया जायेगा एवं प्रचलित प्रब्याजि की 25 प्रतिशत राशि अधिकतम 30 दिवस में जमा कराई जाकर आशय पत्र जारी किया जाएगा। यदि इकाई द्वारा उक्त अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो इकाई के पक्ष में जारी भूमि आवंटन स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी। आशय पत्र जारी होने के बाद नियमानुसार भूमि आवंटन आदेश जारी कर लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, एमपीआईडीसी द्वारा की जायेगी।																		

क्र	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
8	कण्डिका (12) (ii) (स)	ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का सक्षम प्राधिकारी परीक्षण कर आवेदक के भू-खण्ड/शेड की आवश्यकता एवं मात्रा का आंकलन कर आवंटन करेगा। विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" सिद्धांत अंतर्गत एमपीआयडीसी में आवेदन के साथ जमा अग्रिम प्रीमियम राशि प्राप्त होने के समय के आधार पर वरियता-क्रम से किया जावेगा।	विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन हेतु एमपीआयडीसी के पोर्टल पर ई-बिडिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी - 1. ई-बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य निगम को पुनः प्राप्त हो चुका हो, हेतु प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिवस तक (पन्द्रहवे दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त किये जायेंगे। 2. प्रत्येक माह के 16वे दिवस (सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा। किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी। 3. ई-बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पोर्टल पर प्रथम आओ-प्रथम पाओ आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगे। 4. ई-बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा। भूखण्ड हेतु बेस-प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा। न्यूनतम बिड राशि बेसप्राईज के अतिरिक्त ₹ 1,00,000/-होगी, तदोपरांत ₹ 25,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी। ई-बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण एमपीआयडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा। 5. उच्चतम बिड करने वाले सफल आवेदक को भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। भू-भाटक की गणना बेस-प्राईज की प्रब्याजी पर की जायेगी। असफल आवेदकों (बिडर) द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगी। ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का सक्षम प्राधिकारी परीक्षण कर आवेदक के भू-खण्ड की आवश्यकता एवं क्षेत्रफल का आंकलन कर भूखण्ड का आवंटन करेगा। ई-बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी भूखण्ड को शामिल करने अथवा न करने तथा बिडिंग पश्चात हुए आवंटन को

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
			निरस्त करने के अधिकार प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी को होंगे। ई-बिल्डिंग हेतु नीतिगत प्रक्रिया का निर्धारण संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात प्रबंध संचालक, एमपीआयडीसी द्वारा किया जा सकेगा।
9	कण्डिका (12) (ii) (द)	भू-खण्ड, भवन हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत आवेदक को पात्रता होने पर अनिवार्यतः दस दिवस में आशय पत्र ऑनलाईन सिस्टम से जारी कर दिया जायेगा। आवेदन निरस्त होने पर आवेदक 07 दिवस की अवधि में प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका निराकरण 10 दिवस की अवधि में किया जायेगा।	भूखण्ड, भवन हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्ति के उपरान्त आवेदक को पात्रता होने पर अनिवार्यतः 7 दिवस में ऑनलाईन सिस्टम से आशय पत्र जारी कर दिया जायेगा। तथापि इकाई अंतर्गत प्लॉट एवं मशीनरी तथा शेड एवं बिल्डिंग में संयुक्त रूप से राशि रुपये 10 करोड़ के बराबर अथवा उससे अधिक निवेश प्रस्तावित करने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने पर पदाभिहित पोर्टल द्वारा आशय पत्र उसी दिवस में स्वतः जारी किया जायेगा। आवेदन निरस्त होने पर आवेदक 7 दिवस की अवधि में प्रबंध संचालक, एमपीआयडीसी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा जिसका निराकरण 10 दिवस की अवधि में किया जायेगा।
10	कण्डिका (13) (i)	आशय पत्र :- आशय-पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिन में आवंटी द्वारा आशय-पत्र में उल्लेखित देय राशि ऑनलाईन जमा की जायेगी। इस अवधि के उपरांत आशय पत्र की वैधता जारी करने की दिनांक से अधिकतम 120 दिन ब्याज सहित होगी अर्थात् 60 दिवस के पश्चात् राशि जमा करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा। आशय-पत्र की वैधता समाप्त होने पर इकाई द्वारा मांग किये जाने पर जमा की गई अग्रिम प्रीमियम राशि का 90 प्रतिशत राशि वापिस की जायेगी।	आशय पत्र :- आशय-पत्र जारी होने के दिनांक से 60 दिवस की समय सीमा में आवेदन द्वारा आशय-पत्र में उल्लेखित देय राशि ऑनलाईन जमा की जायेगी। उक्त 60 दिवस के पश्चात विलंब अवधि पर विलंब शुल्क के रूप में 10 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय होगा। आशय पत्र की वैधता अवधि विलंब शुल्क सहित आशय पत्र जारी होने दिनांक से अधिकतम 180 दिवस होगी। आशय-पत्र की वैधता समाप्त होने पर अग्रिम प्रीमियम राशि का 90 प्रतिशत राशि वापिस की जायेगी।
11	कण्डिका (13) (ii)	आवंटन आदेश जारी करना :- आशय-पत्र की शर्तों की पूर्ति, जिसमें वांछित राशि यथा प्रीमियम, अग्रिम वार्षिक संधारण शुल्क, अग्रिम भू-भाटक एवं सुरक्षानिधि जमा हो जाने के उपरांत आवंटनकर्ता प्राधिकारी द्वारा आवंटन आदेश, विशिष्ट	आवंटन आदेश जारी करना :- आशय-पत्र की शर्तों की पूर्ति, जिसमें वांछित राशि यथा प्रीमियम, अग्रिम वार्षिक संधारण शुल्क, अग्रिम भू-भाटक एवं सुरक्षानिधि जमा हो जाने के उपरांत आवंटनकर्ता प्राधिकारी द्वारा भूखण्ड का भौतिक परीक्षण कर विशिष्ट भू-खण्ड/भवन का क्रमांक, सेक्टर तथा चर्तुसीमा अंकित कर आवंटन आदेश 04

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
		भू-खण्ड/भवन का क्रमांक, सेक्टर तथा चतुर्सीमा अंकित कर आवंटन आदेश 07 दिवस में जारी कर दिया जायेगा।	दिवस में जारी कर दिया जायेगा।
12	कण्डिका (13) (iii)	पट्टाविलेख का निष्पादन :- आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति उपरांत 60 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित कर पंजीकृत करानी होगी। समयावधि में लीजडीड निष्पादन न करने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 60 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक एमपीआयडीसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिकतम 90 दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी। लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा।	पट्टाविलेख का निष्पादन :- आवंटन आदेश की शर्त अनुसार 10 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित करानी होगी। यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 10 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक एमपीआयडीसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिकतम 60 दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी। यदि उक्त समयावधि में पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं किया जाता है तो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा। लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा।
13	कण्डिका (13) (v)	आधिपत्य/हस्तांतरण - लीजडीड पंजीयन के 15 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टादाता के द्वारा पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण आवश्यक होगा। आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जावेगी। पट्टाग्रहिता द्वारा निर्धारित अवधि में आधिपत्य न प्राप्त करने पर यह माना जावेगा कि उसके द्वारा लीजडीड निष्पादन दिनांक से आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया (डीमंड पजेशन) है।	आधिपत्य - पट्टादाता के द्वारा लीजडीड पंजीयन के यथासंभव 03 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण किया जायेगा। आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी। इकाई द्वारा आधिपत्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिवस की समयावधि में आवंटन प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।
14	कण्डिका (13) (vii)		उपरोक्त के अतिरिक्त "परिशिष्ट-सी" में श्रेणीकृत औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भुगतान योग्य राशि में छूट एवं किरातों में भुगतान के विकल्प उपलब्ध हैं। परिशिष्ट-सी के विकल्पों का चयन करने पर विकल्प अनुसार समयावधि एवं प्रावधान लागू

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
15	कण्डिका(15)	विकसित/विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं उसी अनुक्रम में आशय पत्र, आवंटन आदेश जारी करने एवं लीजडीड निष्पादन, आधिपत्य प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया एमपीआयडीसी के पोर्टल से ऑनलाईन की जावेगी। भूमि आवंटन "प्रथम आओ प्रथम पाओ" सिद्धान्त पर किया जावेगा।	विकसित/विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं उसी अनुक्रम में आशय पत्र, आवंटन आदेश जारी करने एवं लीजडीड निष्पादन, आधिपत्य प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया एमपीआयडीसी के पोर्टल से ऑनलाईन की जावेगी।
16	कण्डिका (16) (vi)	आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग करना :- इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पाँच वर्ष के अंदर नियम 6 अनुसार आवंटित भूमि पर निर्धारित न्यूनतम निर्माण कर भूमि का उपयोग करना होगा अन्यथा मापदंड के अतिरिक्त भूमि को अनुपयोगी भूमि घोषित कर वापस प्राप्त करने की कार्यवाही आवंटी/पट्टादाता द्वारा की जावेगी। अनुपयोगी भूमि की प्रीमियम राशि एवं विकास शुल्क की राशि इकाई को वापस नहीं की जाएगी, घोषित अनुपयोगी भूमि को रिक्त भूमि के रूप में घोषित किया जावेगा तत्पश्चात् यह भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होगी, जो अन्य नवीन इकाई को प्रचलित दर पर आवंटित की जावेगी। ऐसे मामलों में जहां अतिशेष भूमि कब्जा लेकर अन्य इकाई को आवंटित करना संभव नहीं है, वहां भूमि के पूर्ण उपयोग किए जाने तक अनुपयोगी भूमि पर प्रचलित भू-भाटक का 07 गुना भू-भाटक प्रतिवर्ष देय होगा। रक्षा उत्पाद निर्माता इकाईयों को भूमि का पूर्ण उपयोग करने हेतु 10 वर्ष का कालावधि प्रदान की जाएगी।	आवंटित भूमि का पूर्ण उपयोग करना :- इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पाँच वर्ष के अंदर, भूमि का आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के समय सूचित "निर्मित आवृत्त-क्षेत्र" एवं तल क्षेत्र तथा परियोजनानुसार यंत्र-संयंत्र की स्थापना कर भूमि का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक होगा। इस अवधि के उपरांत भूमि का पूर्ण उपयोग इकाई द्वारा न किये जाने पर 10 प्रतिशत प्रब्याजि लेकर एक वर्ष की अतिरिक्त समयावधि पट्टादाता अधिकारी बढ़ा सकेंगे। इसके उपरांत भी पूर्ण उपयोग न करने पर निर्मित क्षेत्र के आधार पर कुल भूमि की पात्रता का आकलन कर इकाई के आधिपत्य की शेष भूमि इकाई को पहुंचमार्ग सहित समर्पित करना होगा। ऐसा न करने पर आवंटन/पट्टादाता अधिकारी ऐसी अतिशेष भूमि जो 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगी, का आवंटन/पट्टा निरस्त कर कब्जा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे मामलों में जहां अतिशेष भूमि कब्जा लेकर अन्य इकाई को आवंटित करना संभव नहीं है, वहां भूमि के पूर्ण उपयोग किए जाने तक अनुपयोगी भूमि पर प्रचलित भू-भाटक का 07 गुना भू-भाटक प्रतिवर्ष देय होगा।
17	कण्डिका (19) (अ)1.	हस्तांतरण/अंतरण किसी स्वामित्विक अथवा भागीदारी अथवा लिमिटेड लायबेलेटी फर्म	लीज डीड संशोधन/ हस्तांतरण शुल्क किसी स्वामित्विक अथवा भागीदारी अथवा लिमिटेड लायबेलेटी फर्म इकाईयों के प्रकरणों में इकाई के डिज्युलेशन होकर नई इकाई

क्र.	नियम की कण्डिका / उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन / संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
		इकाईयों के प्रकरणों में इकाई के डिज्युलेशन होकर नई इकाई अस्तित्व में नहीं आती तथा उनके पैन नं. एवं जीएसटी नं. दोनों पूर्ववत रहते हैं तो ऐसी इकाईयों के शेयर/अंशधारिता परिवर्तन के आधार पर हस्तांतरण नहीं माना जावेगा। इन प्रकरणों में मात्र 10,000/- रुपये अंतरण शुल्क का भुगतान इकाई को करना होगा। इकाई के डिजाल्व होने पर यदि इकाई का पैन नं. तथा जीएसटी नं. परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी इकाई को हस्तांतरण की श्रेणी में माना जावेगा। इन प्रकरणों में प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क देय होगा।	अस्तित्व में नहीं आती तथा उनके पैन नं. एवं जीएसटी नं. दोनों पूर्ववत रहते हैं तो ऐसी इकाईयों के शेयर/अंशधारिता परिवर्तन के आधार पर हस्तांतरण नहीं माना जावेगा। इन प्रकरणों में मात्र 25,000/- रुपये शुल्क का भुगतान लीज डीड संशोधन हेतु इकाई को करना होगा। इकाई के डिजाल्व होने पर यदि इकाई का पैन नं. तथा जीएसटी नं. परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी इकाई को हस्तांतरण की श्रेणी में माना जावेगा। इन प्रकरणों में हस्तांतरण शुल्क कण्डिका क्रमांक 19 (ब)(ii) के अनुसार देय होगा।
18	कण्डिका (19) (अ)2.	कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ/कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number (CIN) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा। परन्तुक निम्न परिस्थितियों में कंपनी का पंजीयन क्रमांक परिवर्तित होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र 10,000/- रुपये का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी (i) कंपनी का विलयन, संविलियन अथवा समामेलन अथवा अन्य प्रकार से परिसंपत्तियां हस्तांतरित होने पर यदि पूर्व कंपनी के समस्त अंशधारक/संचालक के नवीन कंपनी के संचालक/अंशधारक बने रहने पर। (ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का विलय (merger) उसकी मूल संचालक कंपनी में होने पर या मूल संचालक कंपनी का विलय पूर्ण स्वामित्व वाली	कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ/कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number (CIN) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा। परन्तुक निम्न परिस्थितियों में कंपनी का पंजीयन क्रमांक परिवर्तित होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र ₹ 25,000/- का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी - (i) कंपनी का विलयन, संविलियन अथवा समामेलन अथवा अन्य प्रकार से परिसंपत्तियां हस्तांतरित होने पर यदि पूर्व कंपनी के समस्त अंशधारक/संचालक के नवीन कंपनी के संचालक/अंशधारक बने रहने पर। (ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का विलय (merger) उसकी मूल संचालक कंपनी में होने पर या मूल संचालक कंपनी का विलय पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में होने पर। (iii) मूल संचालक कंपनी का विघटन (demerger) होने पर अस्तित्व में आने वाली कंपनियों का स्वरूप यदि होल्डिंग कंपनी एवं सहायक कंपनी का रहने पर।

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
		<p>सहायक कंपनी में होने पर।</p> <p>(iii) मूल संचालक कंपनी का विघटन (demerger) होने पर अस्तित्व में आने वाली कंपनियों का स्वरूप यदि होल्डिंग कंपनी एवं सहायक कंपनी का रहने पर।</p>	
19	कण्डिका (19) (अ)3	स्वामित्विक/भागीदारी इकाई के गठन परिवर्तन के मामले में मूल पट्टेदार के निकटस्थ संबंधियों केवल पति/पत्नि, माता/पिता, पुत्र/पुत्री, बहु/दामाद एवं पोते/पोती, भाई-भाई, भाई-बहन एवं बहन/बहन को औद्योगिक भूमि/भवन के अंतरण की अनुमति मात्र 10,000/- रुपये का अंतरण शुल्क लेकर आवंटी प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी।	स्वामित्विक/भागीदारी इकाई के गठन परिवर्तन के मामले में मूल पट्टेदार के निकटस्थ संबंधियों केवल पति/पत्नि, माता/पिता, पुत्र/पुत्री, बहु/दामाद एवं पोते/पोती, भाई-भाई, भाई-बहन एवं बहन/बहन को औद्योगिक भूमि/भवन के संदर्भ में लीजडीड संशोधन की अनुमति मात्र 25,000/- रुपये का शुल्क लेकर आवंटी प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी।
20	कण्डिका (19) (अ)4	पूर्व में आवंटित ऐसे भू-खण्ड जिनके द्वारा विकास शुल्क की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, के हस्तांतरण में प्रचलित विकास शुल्क की राशि का भुगतान नवीन इकाई को करना होगा, किन्तु पूर्व में आवंटित भूखण्ड के पूर्व प्रयोजन में ही रहने पर हस्तांतरण पर विकास शुल्क देय नहीं होगा। भूखण्ड के पूर्व प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु हस्तांतरित होने पर यदि परिवर्तित प्रयोजन का प्रचलित प्रीमियम अधिक हो तो प्रीमियम के अंतर की राशि भी देय होगी।	विलोपित
21	कण्डिका क्रमांक (19) (ब) (i)	आवंटी इकाई को भूमि आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना की कम से कम 25 प्रतिशत स्थाई पूंजी (भूमि के मूल्य को छोड़कर) का निवेश होने पर ही भूमि हस्तांतरण की पात्रता होगी।	आवंटी इकाई को भूमि आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना की कम से कम 25 प्रतिशत स्थाई पूंजी (भूमि के मूल्य को छोड़कर) का निवेश अथवा ₹ 50 करोड़ का स्थायी निवेश (जो भी कम हो) होने पर ही भूमि हस्तांतरण की पात्रता होगी।
22	कण्डिका क्रमांक (19) (ब) (ii)	अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में नवीन इकाई को प्रचलित प्रब्याजी का दस	अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन समस्त प्रकार की इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में नवीन इकाई द्वारा हस्तांतरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा :-

क्र.	नियम की कण्डिका / उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन / संशोधित कण्डिका												
1	2	3	4												
		प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा पृथक से वार्षिक संधारण शुल्क (अविकसित भूमि पर देय नहीं) एवं भू-भाटक की राशि प्रचलित दरों पर देय होगी, जो प्रकरण हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन प्रकरणों में पट्टाभिलेख संशोधन के समय वार्षिक भू-भाटक की राशि अपरिवर्तनीय होगी।	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रं.</th> <th>प्रकरण का प्रकार</th> <th>हस्तांतरण शुल्क की दरें</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत या अधिक स्थायी निवेश किया गया हो।</td> <td>प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत से कम किन्तु 50 प्रतिशत तक स्थायी निवेश के हस्तांतरण के प्रकरण में।</td> <td>प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 50 प्रतिशत से कम किन्तु न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थायी निवेश अथवा न्यूनतम रु. 50 करोड़ स्थायी निवेश (जो भी कम हो) किया जाकर हस्तांतरण के प्रकरण में।</td> <td>प्रचलित प्रब्याजि का 50 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त के अतिरिक्त हस्तांतरण हेतु नियमों में प्रावधानों के अनुसार वार्षिक संधारण शुल्क (अविकसित भूमि पर देय नहीं) एवं भू-भाटक की राशि वर्तमान में प्रचलित दरों पर देय होगी। जो प्रकरण हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन प्रकरणों में पट्टाभिलेख संशोधन</p>	क्रं.	प्रकरण का प्रकार	हस्तांतरण शुल्क की दरें	1	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत या अधिक स्थायी निवेश किया गया हो।	प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।	2	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत से कम किन्तु 50 प्रतिशत तक स्थायी निवेश के हस्तांतरण के प्रकरण में।	प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।	3	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 50 प्रतिशत से कम किन्तु न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थायी निवेश अथवा न्यूनतम रु. 50 करोड़ स्थायी निवेश (जो भी कम हो) किया जाकर हस्तांतरण के प्रकरण में।	प्रचलित प्रब्याजि का 50 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।
क्रं.	प्रकरण का प्रकार	हस्तांतरण शुल्क की दरें													
1	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत या अधिक स्थायी निवेश किया गया हो।	प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।													
2	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत से कम किन्तु 50 प्रतिशत तक स्थायी निवेश के हस्तांतरण के प्रकरण में।	प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।													
3	ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 50 प्रतिशत से कम किन्तु न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थायी निवेश अथवा न्यूनतम रु. 50 करोड़ स्थायी निवेश (जो भी कम हो) किया जाकर हस्तांतरण के प्रकरण में।	प्रचलित प्रब्याजि का 50 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।													

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
			के समय वार्षिक भू-भाटक की राशि अपरिवर्तनीय होगी।
23	कण्डिका क्रमांक (19) (स) (iv)	निरस्त भूखण्डों के प्रकरणों में लीजडीड बहाल करते हुए हस्तांतरण की अनुमति अपीलीय अधिकारी द्वारा दी जाएगी।	विकसित एवं विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों के सभी प्रकार के निरस्त भूखण्डों के प्रकरणों में लीजडीड बहाल करते हुए हस्तांतरण की अनुमति प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा दी जा सकेगी। अविकसित भूमि के सभी प्रकार के प्रकरणों में लीजडीड बहाल करते हुए हस्तांतरण की अनुमति अध्यक्ष एमपीआयडीसी द्वारा दी जा सकेगी।
24	कण्डिका क्रमांक (20)	अनुपयोगी भूमि का हस्तांतरण कार्यरत इकाई को आवंटित भूमि का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा न्यूनतम 500 वर्गमीटर अनुपयोगी भूमि (पृथक पहुंच मार्ग उपलब्ध होने की शर्त पर) के हस्तांतरण की अनुमति 100 प्रतिशत प्रब्याजी की राशि जमा करने पर सक्षम प्राधिकारी से औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास से संशोधन की अनुमति प्राप्त कर दी जा सकेगी। आवंटन प्राधिकारी नियम 6 का पालन करते हुए अनुपयोग भूमि की पात्रता का निर्धारण कर अनुपयोगी भूमि घोषित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के तहत घोषित अनुपयोगी भूमि के आवंटन के समय पृथक से प्रब्याजी देय होगी, जो कि मूल आवंटन के समय प्राप्त प्रब्याजी के अतिरिक्त है। इस हस्तांतरण के पूर्व की अन्य देयताओं जैसे भू-भाटक, संधारण शुल्क आदि का भुगतान हस्तांतरणकर्ता के द्वारा किये जाने पर ही अनुमति प्रदान की जायेगी। बंद इकाई को आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत न्यूनतम 500 वर्गमीटर, पहुंच मार्ग उपलब्ध होने पर मात्र औद्योगिक प्रयोजन हेतु 10 प्रतिशत प्रचलित प्रब्याजी की राशि जमा करने तथा सक्षम प्राधिकारी से औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास के संशोधन की अनुमति प्राप्त करने पर हस्तांतरण की अनुमति प्रदान	कण्डिका 20 (अ)- कार्यरत इकाईयों की अनुपयोगी भूमि का हस्तांतरण कार्यरत इकाई को आवंटित भूमि का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा न्यूनतम 1,000 वर्गमीटर अनुपयोगी भूमि (पृथक पहुंच मार्ग उपलब्ध होने की शर्त पर) के हस्तांतरण की अनुमति 100 प्रतिशत प्रब्याजी की राशि जमा करने पर सक्षम प्राधिकारी से औद्योगिक क्षेत्र के अभिन्यास में संशोधन की अनुमति प्राप्त कर दी जा सकेगी। आवंटन प्राधिकारी नियम 6 का पालन करते हुये अनुपयोगी भूमि की पात्रता का निर्धारण कर अनुपयोगी भूमि घोषित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के तहत घोषित अनुपयोगी भूमि के आवंटन के समय पृथक से प्रब्याजी देय होगी, जो कि मूल आवंटन के समय प्राप्त प्रब्याजी के अतिरिक्त, है। इस हस्तांतरण के पूर्व की अन्य देयतायें जैसे भू-भाटक संधारण शुल्क आदि का भुगतान हस्तांतरणकर्ता के द्वारा किये जाने पर ही अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त अनुपयोगी भूमि के हस्तांतरण हेतु मूल आवंटि द्वारा मूल पट्टाभिलेख में संशोधन एवं समर्पण विलेख निष्पादित किया जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उक्त सुविधा का लाभ इकाई अपने जीवनकाल में एकबार ही प्राप्त कर सकेगी। कण्डिका 20 (ब)- बंद इकाई को आवंटित भूमि का विभाजन एवं हस्तांतरण बंद औद्योगिक इकाईयां, जो कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादन में रही हों व कम से कम दो वर्ष से बंद हो, को आवंटित भू-खण्ड

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
	कण्डिका क्रमांक (20)	<p>पर हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।</p> <p>इस हेतु कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, एमपीआईडीसी में इकाई को आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा घोषित अनुपयोगी भूमि के हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण ग्रहिता को प्रचलित प्रब्याजी की 10 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, यह राशि मूल आवंटन के समय जमा की गई प्रब्याजी के अतिरिक्त होगी तथा पूर्व की समस्त देयतायें हस्तांतरणकर्ता द्वारा जमा करने पर ही हस्तांतरण की पात्रता होगी।</p> <p>उक्त अनुपयोगी भूमि के हस्तांतरण हेतु मूल आवंटी द्वारा मूल पट्टाभिलेख में संशोधन एवं समर्पण विलेख नि पादित किया जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। उक्त सुविधा का लाभ इकाई अपने जीवनकाल में एक बार ही प्राप्त कर सकेगी।</p>	<p>कम दो वर्ष से बंद हो, को आवंटित भू-खण्ड के समुचित उपयोग के दृष्टिगत नवीन उद्योग स्थापना हेतु भू-खण्डक का विभाजन कर हस्तांतरण हेतु अनुमति पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी। इन इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र में एवं अविकसित भूमि में भूखण्ड विभाजन हेतु शर्तें निम्नानुसार होंगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मूल इकाई द्वारा भूखण्ड से संबंधित दायर समस्त न्यायालयीन प्रकरणों को वापिस लेना होगा। 2. किसी भी विभाजित भू-खण्ड का क्षेत्रफल 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिये तथा भू-खण्डों में आने जाने हेतु स्वतंत्र रास्ता होना चाहिये। विभाजित भू-खण्डों के लेआउट का अनुमोदन राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 3. नवीन इकाईयों द्वारा प्रचलित प्रब्याजी की 60 प्रतिशत राशि, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो.लि. (MPIDC) को, भू-आवंटन हेतु प्रब्याजी के रूप में भुगतान करना होगा एवं नियमानुसार वार्षिक भू-भाटक की गणना प्रचलित प्रब्याजी के आधार पर की जायेगी। 4. औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड विभाजन के पश्चात नवीन इकाई स्थापित होने की स्थिति में प्रचलित दर का 20 प्रतिशत विकास शुल्क नवीन इकाई द्वारा निगम को देय होगा। नवीन इकाईयों को संधारण शुल्क का भुगतान MPIDC द्वारा निर्धारित दरों पर करना होगा। 5. आवेदन की प्रक्रिया- मूल आवंटी को प्रस्ताव MPIDC के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिसे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तथ्यों के साथ MPIDC को प्रेषित किया जायेगा। MPIDC द्वारा अभिमत के साथ प्रस्ताव संचालक मण्डल/राज्य शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा। 6. अविकसित भूमि के विभाजन पर अधोसंरचना विकास/ औद्योगिक पार्क का विकास का निर्णय MPIDC द्वारा लिया जायेगा एवं नवीन इकाईयों द्वारा विकास शुल्क एवं संधारण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:- <p>6.1 प्रारंभिक रूप से निर्धारित किये जाने</p>

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
	कण्डिका क्रमांक (20)		<p>वाले विकास शुल्क की गणना PWD के प्रचलित CSR के आधार पर की जायेगी।</p> <p>6.2 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना के वास्तविक व्यय के अनुरूप विकास शुल्क (वास्तविक विकास शुल्क) की गणना की जायेगी।</p> <p>6.3 प्रारंभिक रूप से लिया गया विकास शुल्क वास्तविक विकास शुल्क से कम होने की स्थिति में इकाई को वास्तविक विकास शुल्क अनुसार भुगतान करना होगा। प्रारंभिक विकास शुल्क वास्तविक विकास शुल्क से अधिक होने की स्थिति में विकास शुल्क राशि समायोजित की जायेगी।</p> <p>6.4 नवीन इकाईयों को भू-आवंटन हेतु आवेदन के साथ, प्रब्याजी के अतिरिक्त प्रारंभिक रूप से निर्धारित विकास शुल्क का 25 प्रतिशत अग्रिम रूप से निगम को भुगतान करना होगा।</p> <p>6.5 एमपीआईडीसी द्वारा विकास कार्य प्रारंभ करने के पश्चात नवीन आवंटी को प्रारंभिक रूप से निर्धारित विकास शुल्क की शेष राशि का भुगतान 3 छः माही किशतों में करना होगा। विकास कार्य प्रारंभ करने की सूचना आवंटी को एमपीआईडीसी द्वारा विधिवत दी जाएगी। समस्त किस्तों के भुगतान के पश्चात नये आबटियों के पक्ष में लीज डीड निष्पादित की जायेगी।</p> <p>6.6 अविकसित भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की स्थिति में नवीन आवंटित इकाईयों से MPIDC द्वारा संधारण शुल्क वसूल किया जा सकेगा। संधारण शुल्क का निर्धारण निगम द्वारा किया जायेगा।</p> <p>7. इकाई के भूखण्ड का वह भाग जिस पर परिसम्पत्ति निर्मित है, उस भाग को नवीन इकाईयों को हस्तांतरण के पूर्व मूल इकाई को पंजीकृत विक्रय-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके उपरांत ही नवीन इकाई के पक्ष में लीजडीड निष्पादित की जा</p>

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
	कण्डिका क्रमांक (20)		<p>सकेगी।</p> <p>8. प्राप्त प्रस्ताव पर सर्वप्रथम सक्षम अधिकारी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जायेगी जिसकी वैधता 1 वर्ष तक रहेगी। 1 वर्ष की अवधि में मूल इकाई द्वारा विभाग एवं निगम की पूर्व की समस्त देयताओं का पूर्ण भुगतान करने पर ही नवीन इकाईयों की लीजडीड निष्पादित की जायेगी। आवंटित नवीन इकाई/इकाईयों को प्रचलित भू-आवंटन नियम अनुसार उत्पादन प्रारंभ करना होगा।</p> <p>9. मूल इकाई के विरुद्ध राज्य शासन के विभागों जैसे- वाणिज्यिक कर विभाग, ऊर्जा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के देयताओं के भुगतान का दायित्व मूल इकाई का होगा एवं इस बारे में अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल इकाई को सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक से 1 वर्ष के अंदर प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>10. ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा मूल लीजडीड किसी वित्तीय संस्था को अभिहस्तांकित की गई है, उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से 1 वर्ष के अंदर संबंधित वित्तीय संस्था से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।</p> <p>11. मूल इकाई को आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 10 एकड़ से कम होने की स्थिति में मानचित्र अनुमोदन अनुसार समस्त विभाजित भूखण्डों का हस्तांतरण एवं लीजडीड निष्पादन नवीन इकाईयों को सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक से 18 माह के अंदर किया जाएगा।</p> <p>मूल इकाई को आवंटित भूमि क्षेत्रफल 10 एकड़ से अधिक होने की स्थिति में मानचित्र अनुमोदन अनुसार समस्त विभाजित भूखण्डों का हस्तांतरण एवं लीजडीड निष्पादन नवीन इकाईयों को सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक से 2 वर्ष के अंदर किया जाएगा।</p> <p>उपरोक्तानुसार समस्त रिक्त भूखण्ड जो कि मूल इकाई द्वारा उक्त समयावधि में हस्तांतरित नहीं किए गए हों, उन्हें अनावंटित भूखण्डों की श्रेणी में मान्य कर एमपीआईडीसी द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही</p>

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका						
1	2	3	4						
	कण्डिका क्रमांक (20)		<p>कर रिक्ति भू-खण्डों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया जायेगा। इस संबंध में मूल इकाई से प्रक्रिया शुरू होने अथवा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व ही शपथ-पत्र ले लिया जायेगा।</p> <p>भूखण्डों के विभाजन व हस्तांतरण संबंधी शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में भूमि का आधिपत्य निगम द्वारा ले लिया जायेगा। इस संबंध में मूल इकाई को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व ही शपथ-पत्र लिया जायेगा।</p> <p>12. निगम द्वारा भूखण्ड का आवंटन मूल आवंटी की अनुशंसा पर किया जायेगा तथा भूखण्ड की लीजडीड निगम एवं नवीन आवंटी के मध्य प्रचलित भू-आवंटन नियम अनुसार निष्पादित की जायेगी।</p> <p>13. मूल इकाई को आवंटित भूमि के विभाजन एवं हस्तांतरण अनुमति की अधिकारिता निम्नानुसार होगी:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>भूमि का क्षेत्रफल</th> <th>सक्षम प्राधिकारी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 एकड़ तक विकसित भूमि</td> <td>संचालक मण्डल</td> </tr> <tr> <td>20 एकड़ से अधिक विकसित भूमि एवं समस्त अविकसित भूमि</td> <td>राज्य शासन</td> </tr> </tbody> </table> <p>14. मूल आवंटित भूमि पर भूखण्ड विभाजन हेतु मानचित्र अनुमोदन पर अधोसंरचना विकास/ ग्रीन बेल्ट इत्यादि हेतु छोड़ी गई भूमि की प्रब्याजी की गणना पृथक से भूमि के समुचित उपयोग के दृष्टिगत गुणदोष के आधार पर MPIDC द्वारा की जायेगी।</p> <p>15. अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाइयों को विभागीय नीति/योजना अनुसार अनुदान प्राप्ति के पश्चात निर्धारित अवधि तक उत्पादनरत रहने की शर्त पर ही भूखण्ड विभाजन एवं हस्तांतरण हेतु अनुमति दी जायेगी।</p>	भूमि का क्षेत्रफल	सक्षम प्राधिकारी	20 एकड़ तक विकसित भूमि	संचालक मण्डल	20 एकड़ से अधिक विकसित भूमि एवं समस्त अविकसित भूमि	राज्य शासन
भूमि का क्षेत्रफल	सक्षम प्राधिकारी								
20 एकड़ तक विकसित भूमि	संचालक मण्डल								
20 एकड़ से अधिक विकसित भूमि एवं समस्त अविकसित भूमि	राज्य शासन								
25	कण्डिका क्रमांक (21)	भू-खंड का विभाजन :- मूल पट्टा निष्पादन के उपरांत उत्तराधिकारियों/ वारिसों /भागीदारों के मध्य भूमि का विभाजन रूपये दस हजार की अनुमति शुल्क जमा करने पर	भू-खंड का विभाजन :- मूल पट्टा निष्पादन के उपरांत उत्तराधिकारियों/ वारिसों/भागीदारों के मध्य भूमि का विभाजन ₹ 25,000/-जमा करने पर आवंटन प्राधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा, बशर्ते कि विभाजन उपरांत बने						

क्र.	नियम की कण्डिका / उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन / संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
		आवंटन प्राधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा शर्त यह होगी कि विभाजन उपरांत बने भू-खंडो का क्षेत्रफल न्यूनतम 500 वर्गमीटर से कम न हो । यह विभाजन भूखण्ड विशेष के संदर्भ में केवल एक बार अनुमत होगा एवं सक्षम प्राधिकारी से भूखण्ड विभाजन के परिप्रेक्ष्य में ले-आउट प्लान संशोधन की अनुमति प्राप्त करने की शर्त पर मान्य होगा । उक्तानुसार विभाजन के अनुक्रम में मूल पट्टाभिलेख में संशोधन को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा ।	भू-खंडो का क्षेत्रफल न्यूनतम 1000 वर्गमीटर से कम न हो । यह विभाजन भूखण्ड विशेष के संदर्भ में केवल एक बार अनुमत होगा एवं सक्षम प्राधिकारी से भूखण्ड विभाजन के परिप्रेक्ष्य में ले-आउट प्लान संशोधन की अनुमति प्राप्त करने की शर्त पर मान्य होगा । उक्तानुसार विभाजन के अनुक्रम में मूल पट्टाभिलेख में संशोधन को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा ।
26	कण्डिका क्रमांक (24) (अ) 1	90 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से, लघु उद्योग के प्रकरण में, दो वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष के भीतर होता है।	90 प्रतिशत प्रब्याजि एवं विकास शुल्क, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से, लघु उद्योग के प्रकरण में, दो वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में तीन वर्ष के भीतर होता है।
27	कण्डिका क्रमांक (24) (अ) 2	80 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में, दो वर्ष के बाद किन्तु तीन वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर होता है।	80 प्रतिशत प्रब्याजि एवं विकास शुल्क, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में, दो वर्ष के बाद किन्तु तीन वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर होता है।
28	कण्डिका क्रमांक (24) (अ) 3	70 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, चार वर्ष के बाद किन्तु पांच वर्ष के भीतर होता है।	70 प्रतिशत प्रब्याजि एवं विकास शुल्क, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में, तीन वर्ष के बाद किन्तु चार वर्ष के भीतर और वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरण में, चार वर्ष के बाद किन्तु पांच वर्ष के भीतर होता है।
29	कण्डिका क्रमांक (24) (अ) 4	50 प्रतिशत, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में चार वर्ष की समयावधि के उपरांत परन्तु छः वर्ष के पूर्व तथा वृहद अथवा मध्यम उद्योग के प्रकरण में पांच वर्ष के उपरांत परन्तु सात वर्ष के पूर्व होता है। आवंटन निरस्तीकरण की दशा में निरस्तीकरण दिनांक से तीन माह	50 प्रतिशत प्रब्याजि एवं विकास शुल्क, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में 04 वर्ष की समयावधि के उपरांत परन्तु 06 वर्ष के पूर्व तथा वृहद अथवा मध्यम उद्योग के प्रकरण में 05 वर्ष के उपरांत परन्तु 07 वर्ष के पूर्व होता है।

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
		<p>की समयावधि में आवंटित भूमि/भवन का आधिपत्य सौंपने पर कण्डिका 24 (अ) अनुसार राशि वापस की जायेगी। आधिपत्य न सौंपने पर कोई राशि वापसी योग्य नहीं होगी।</p> <p>अपील प्रकरणों में यह अवधि अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक से छः माह तक मान्य होगी। उपरोक्त समयावधि में पट्टाग्राहिता लीज पर आवंटित भूमि पर निर्मित भवन एवं स्थापित मशीनरी आदि को विक्रय कर पट्टाग्राहिता इसी अवधि में भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकारी के सक्षम प्रस्तुत कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा गुण-दोष के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जावेगी।</p>	
30	कण्डिका क्रमांक (24) (अ) 5		<p>40 प्रतिशत केवल प्रब्याजी, यदि आवंटित/पट्टे पर दी गई भूमि का समर्पण लघु उद्योग के प्रकरण में 06 वर्ष की समयावधि के उपरांत परन्तु 08 वर्ष के पूर्व तथा वृहद् अथवा मध्यम उद्योग के प्रकरण में 07 वर्ष के उपरांत परन्तु 09 वर्ष के पूर्व होता है।</p> <p>उपरोक्तानुसार समयावधि समाप्त हो जाने के उपरांत वापसी योग राशि में प्रतिवर्ष 02 प्रतिशत की कमी कर राशि की गणना की जायेगी, किन्तु न्यूनतम 10 प्रतिशत प्रब्याजी राशि वापसी योग्य होगी।</p> <p>आवंटन निरस्तीकरण की दशा में निरस्तीकरण दिनांक से तीन माह की समयावधि में आवंटित भूमि/भवन का आधिपत्य सौंपने पर कण्डिका 24 (अ) अनुसार राशि वापस की जायेगी। आधिपत्य न सौंपने पर कोई राशि वापसी योग्य नहीं होगी।</p> <p>अपील प्रकरणों में यह अवधि अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक से छः माह तक मान्य होगी।</p>

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
भाग-दो			
आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन			
31	कण्डिका क्रमांक (28)	<p>भूमि आवंटन हेतु दरें -आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन के भूखंडों का आवंटन पारदर्शिता अपनाते हुए नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जावेगा। भूमि आवंटन हेतु प्रीमियम की न्यूनतम राशि (बेस प्राईस) उस औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन हेतु नियम 9 के अंतर्गत निर्धारित भूमि के मूल्य के बराबर तथा विकास शुल्क का शत-प्रतिशत का योग होगा। खुली निविदा/ई-निविदा के पश्चात न्यूनतम राशि एवं निविदा राशि में जो भी राशि अधिकतम होगी, के आधार पर आवंटन किया जावेगा। खुली निविदा/ई-निविदा के द्वारा भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रीमियम की न्यूनतम राशि (भूमि का मूल्य) का 2 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक (लीज रेंट) होगा। आवंटी इकाईयों की देयताओं के संदर्भ में विलंब अवधि हेतु 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज राशि देय होगी।</p>	<p>भूमि आवंटन हेतु दरें -आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन के भूखंडों का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। आवासीय प्रयोजन एवं व्यवसायिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन हेतु बेस प्राईस उस औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटन हेतु नियम 9 के अंतर्गत निर्धारित भूमि के मूल्य के कमशः 125 प्रतिशत एवं 150 प्रतिशत तथा विकास शुल्क का शत-प्रतिशत का योग होगा, किन्तु आवश्यकतानुसार प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी बेस प्राईज में वृद्धि करने के लिए अधिकृत होंगे।</p> <p>ई-बिडिंग के पश्चात न्यूनतम राशि एवं बिड राशि में जो भी राशि अधिकतम होगी, के आधार पर आवंटन किया जायेगा। ई-बिडिंग द्वारा भूमि आवंटन हेतु निर्धारित बेस प्राईज की प्रब्याजि का 02 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक (लीज रेंट) होगा।</p> <p>आवंटी इकाईयों की देयताओं के संदर्भ में विलंब अवधि हेतु 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज राशि देय होगी।</p>
32	कण्डिका क्रमांक (29)	<p>आवंटन की प्रक्रिया :-विकसित एवं विकसित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों में आवासीय, एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु चिन्हित भूखंडों का आवंटन खुली निविदा/ई-निविदा प्रक्रिया के तहत की जावेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से ही सारणी तय कर निर्धारित समय-सीमा तय कर ई-टेण्डरिंग की विज्ञप्ति दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।</p> <p>नीलामी प्रक्रिया (ई-टेण्डरिंग) में सफल क्रेता के पक्ष में भूखंड के आशय पत्र, आवंटन आदेश, लीज डीड निष्पादन, लीजडीड का पंजीयन एवं आधिपत्य की प्रक्रिया भाग-1 के नियम 13 के अनुसार</p>	<p>आवंटन की प्रक्रिया :- विकसित एवं विकसित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों/विकास केन्द्रों में आवासीय, एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु चिन्हित भूखंडों का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के तहत की जावेगी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र में मांग एवं विकास के दृष्टिगत पूर्व से ही सारणी तय कर निर्धारित समय-सीमा तय कर ई-बिडिंग की विज्ञप्ति दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।</p> <p>ई-बिडिंग में सफल क्रेता के पक्ष में भूखंड के आशय पत्र, आवंटन आदेश, लीज डीड निष्पादन, लीजडीड का पंजीयन एवं आधिपत्य की प्रक्रिया भाग-1 के नियम 13 के अनुसार तथा बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार के अभिहस्तांकन की अनापत्ति भाग-1 नियम 16 के अनुसार, भूखंडों के उपपट्टों की अनुमति भाग-1 नियम 21 के अनुसार तथा भू-खण्ड के विभाजन की</p>

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका								
1	2	3	4								
		तथा बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार के अभिहस्तांकन की अनापत्ति भाग-1 नियम 16 के अनुसार, भूखण्डों के उपपट्टों की अनुमति भाग-1 नियम 21 के अनुसार तथा भू-खण्ड के विभाजन की अनुमति भाग-1 नियम 20 के अनुसार होगी।	अनुमति भाग-1 नियम 20 के अनुसार होगी। उक्त प्रक्रिया में किसी भी भूखण्ड को शामिल करने अथवा न करने तथा बिडिंग पश्चात् हुए आवंटन को निरस्त करने के अधिकार प्रबंध संचालक को होंगे।								
33	कण्डिका क्रमांक (32)	हस्तांतरण - आवासीय, व्यवसायिक हेतु आवंटित भूखंडों के हस्तांतरण की अनुमति दस हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी।	हस्तांतरण:- आवासीय एवं व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आवंटित भूखंडों के हस्तांतरण की अनुमति ₹ 25,000/- हस्तांतरण शुल्क पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी।								
भाग-3											
34	कण्डिका क्रमांक (34)	भूमि आवंटन की अधिकारिता -विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन हेतु चिन्हित भूमि में निम्न उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन हेतु राशि रुपये एक प्रब्याजी पर राज्य शासन की अनुमति से आवंटित की जाएगी।	भूमि आवंटन की अधिकारिता -विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन हेतु चिन्हित भूमि में निम्न उद्योग अनुषांगिक प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1/- प्रब्याजी पर संचालक मण्डल के अनुमोदन से आवंटित की जाएगी।								
भाग-4											
35	कण्डिका क्रमांक (43) (1)	इन नियमों के अंतर्गत पट्टादाता/आवंटन अधिकारी द्वारा पारित/जारी मूल आदेश से असंतुष्ट पट्टेदार/पक्षकार द्वारा ऐसा आदेश पारित होने से 90 दिवस की अवधि में कण्डिका 41(ii) में वर्णित क्षेत्राधिकार अनुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ₹ 5,000/- एवं जीएसटी अपील शुल्क सहित प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अपील आवेदनों का निराकरण प्रकरण की स्थिति, किये गये निवेश एवं रोजगार के दृष्टिगत विचार किया जा सकेगा। अपील शुल्क अपीलीय अधिकारी को देय होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।	कण्डिका क्रमांक (43) -इन नियमों के अंतर्गत आदेश पारित होने से 90 दिवस की अवधि में प्रथम अपील एवं 45 दिवस की अवधि में द्वितीय अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। अपील हेतु शुल्क एवं निराकरण की अवधि निम्नानुसार होगी :- विकसित/विकासाधीन भूमि/शेड हेतु - <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>अपील का प्रकार</th> <th>अपीलीय अधिकारी</th> <th>अपील शुल्क</th> <th>निराकरण की समयवधि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम अपील</td> <td>प्रबंध संचालक एमपीआई डीसी</td> <td>₹ 10,000/- + जीएसटी</td> <td>90 दिवस</td> </tr> </tbody> </table>	अपील का प्रकार	अपीलीय अधिकारी	अपील शुल्क	निराकरण की समयवधि	प्रथम अपील	प्रबंध संचालक एमपीआई डीसी	₹ 10,000/- + जीएसटी	90 दिवस
अपील का प्रकार	अपीलीय अधिकारी	अपील शुल्क	निराकरण की समयवधि								
प्रथम अपील	प्रबंध संचालक एमपीआई डीसी	₹ 10,000/- + जीएसटी	90 दिवस								

क्र.	नियम की कण्डिका/उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन/ संशोधित कण्डिका																
1	2	3	4																
			<table border="1"> <tr> <td>द्वितीय अपील</td> <td>अध्यक्ष एमपीआइ डीसी</td> <td>एमएसएमई इकाईयों के लिए ₹ 15000/- + जीएसटी वृहद उद्योगों के लिए ₹ 25,000/- + जीएसटी</td> <td>90 दिवस</td> </tr> </table> <p>अविकसित भूमि के हेतु -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अपील का प्रकार</th> <th>अपीलीय अधिकारी</th> <th>अपील शुल्क</th> <th>निराकरण की समयावधि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>प्रथम अपील</td> <td>अध्यक्ष एमपीआइ डीसी</td> <td>₹ 25,000 + जीएसटी</td> <td>90 दिवस</td> </tr> <tr> <td>द्वितीय अपील</td> <td>राज्य शासन</td> <td>₹ 50,000 + जीएसटी</td> <td>90 दिवस</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपील शुल्क एमपीआयडीसी भोपाल को देय होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा। विकसित भूमि के प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा में उत्पादन प्रारंभ न करने पर निरस्तीकरण होने के प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रचलित प्रब्याजी का 10 प्रतिशत जमा करने की स्थिति में अंतिम रूप से 01 वर्ष की समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी। यदि केवल देयताएं जमा न करने के कारण लीजडीड निरस्त की गई है तो अपील अवधि में इकाई द्वारा समस्त बकाया देय राशि जमा की जाती है तो निरस्तीकरणकर्ता अधिकारी निरस्तीकरण आदेश को वापिस ले सकेगा।</p>	द्वितीय अपील	अध्यक्ष एमपीआइ डीसी	एमएसएमई इकाईयों के लिए ₹ 15000/- + जीएसटी वृहद उद्योगों के लिए ₹ 25,000/- + जीएसटी	90 दिवस	अपील का प्रकार	अपीलीय अधिकारी	अपील शुल्क	निराकरण की समयावधि	प्रथम अपील	अध्यक्ष एमपीआइ डीसी	₹ 25,000 + जीएसटी	90 दिवस	द्वितीय अपील	राज्य शासन	₹ 50,000 + जीएसटी	90 दिवस
द्वितीय अपील	अध्यक्ष एमपीआइ डीसी	एमएसएमई इकाईयों के लिए ₹ 15000/- + जीएसटी वृहद उद्योगों के लिए ₹ 25,000/- + जीएसटी	90 दिवस																
अपील का प्रकार	अपीलीय अधिकारी	अपील शुल्क	निराकरण की समयावधि																
प्रथम अपील	अध्यक्ष एमपीआइ डीसी	₹ 25,000 + जीएसटी	90 दिवस																
द्वितीय अपील	राज्य शासन	₹ 50,000 + जीएसटी	90 दिवस																
36	कण्डिका क्रमांक (43) (2) (i)	अपील के संबंध में क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा -अविकसित भूमि के प्रकरणों में प्रबंध संचालक एमपी आयडीसी अथवा नामांकित	विलोपित																

क्र.	नियम की कण्डिका / उपकण्डिका	कण्डिका का वर्तमान स्वरूप	नवीन / संशोधित कण्डिका
1	2	3	4
		कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष एमपीआयडीसी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जावेगी तथा अध्यक्ष एमपीआयडीसी के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हेतु माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।	
37	कण्डिका क्रमांक (43) (2) (ii)	विकसित भूमि/शेड के प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी के द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश के विरुद्ध प्रबंध संचालक, एमपीआयडीसी, प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा प्रथम अपीलीय अधिकारी के पारित निर्णय के विरुद्ध समीक्षा की अधिकारिता अध्यक्ष एमपीआयडीसी को होगी।	विलोपित
38	कण्डिका क्रमांक (43) (3)	अपील/पुनरीक्षण निराकरण की प्रक्रिया - अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर सुनवाई हेतु तिथि नियत कर अपीलकर्ता इकाई को सूचित किया जावेगा तथा 60 दिवस के अंदर अधिकतम 3 सुनवाई का अवसर देकर अपील का निराकरण किया जावेगा। अपील पुनरीक्षण में मूल आदेश को यथावत रखा जा सकता है अथवा निरस्त किया जा सकता है अथवा मूल आदेश में आंशिक संशोधन भी किया जा सकता है। यदि केवल देयताएं जमा न करने के कारण लीजडीड निरस्त की गई है तो अपील अवधि में इकाई द्वारा समस्त बकाया देय राशि जमा की जाती है तो निरस्तीकरणकर्ता अधिकारी निरस्तीकरण आदेश को वापिस ले सकेगा।	विलोपित
39	कण्डिका क्रमांक (45)	नियमों में अस्पष्टता, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग व्याख्या के लिये अधिकृत होगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इन नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार लीजडीड, हस्तांतरण डीड सहित विविध प्रपत्र प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा संचालक मण्डल के अनुमोदन से जारी किये जा सकेंगे।	नियमों में अस्पष्टता, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग व्याख्या के लिये अधिकृत होगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। इन नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार लीजडीड, हस्तांतरण डीड सहित विविध प्रपत्र प्रबंध संचालक, एमपीआयडीसी द्वारा संचालक मण्डल के अनुमोदन से जारी किये जा सकेंगे। इन नियमों में वर्णित अधिकारों/ प्रावधानों के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों एवं अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णय एमपीआयडीसी के संचालक मण्डल द्वारा लिया जा सकेगा।

परिशिष्ट- सी**कंडिका 13 (vii) अंतर्गत किशतों में भू-खण्ड आवंटन के लिए प्रब्याजी एवं विकास शुल्क भुगतान हेतु विकल्प एवं सामान्य निर्देश**

1. एमपीआईडीसी के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित प्रब्याजी एवं विकास शुल्क की राशि भुगतान करने हेतु छूट प्रदान करने के लिए चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों का श्रेणीकरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी एक- औद्योगिक क्षेत्रों के नाम

ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका विकास वर्ष 2015 अथवा उससे पूर्व हुआ है।

क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	रूधिभावसिंहपुरा (खण्डवा), उज्जैनी (धार)।
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	सिद्धगवां फेस-1 (सागर), आईआईडी बीना (सागर),
क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	आईआईडी जडेरुआ (मुरैना), फूड पार्क मालनपुर (भिण्ड), सीतापुर फेस-1 और फेस-2 (मुरैना), पिपरसेवा (मुरैना), रेडीमेड गारमेंट पार्क (ग्वालियर)।
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक विकास केन्द्र मनेरी (मंडला), स्टोन पार्क हरदुआ (कटनी), हरगढ़ (जबलपुर), भुरकलखापा (सिवनी)।
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	आईआईडीसी नादनटोला (सतना)।

श्रेणी दो- औद्योगिक क्षेत्रों के नाम

ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जिनका विकास वर्ष 2015 के पश्चात् हुआ है।

क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	बीजेपुर (फार्मा एवं एपेरल क्लस्टर), नेमावर (देवास), सिरसौदा (देवास), झांझरवाड़ा (नीमच), ताजपुर (उज्जैन)।
क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	जम्बार बागरी (विदिशा), प्लास्टिक पार्क तामोट (रायसेन), कीरतपुर फेस-1 (होशंगाबाद)।
क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अधीन औद्योगिक क्षेत्र	उमरिया डुंगरिया फेस-2 (जबलपुर), औद्योगिक विकास केन्द्र बोरगांव एक्सटेंशन (छिंदवाड़ा), लहगडुआ (छिंदवाड़ा)।

2. चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी के अनुसार प्रब्याजी एवं विकास शुल्क भुगतान करने हेतु निम्नानुसार विकल्प हैं:-

क्र.	चयनित औद्योगिक क्षेत्र जिनमें विकल्प दिया जाना है	विकल्प एक	विकल्प दो	विकल्प तीन
1	श्रेणी-01 के चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु	प्रचलित प्रब्याजी का शेष 75 प्रतिशत एवं संपूर्ण विकास शुल्क 120 दिवस में भुगतान करने पर संपूर्ण प्रब्याजी एवं विकास शुल्क पर 20 प्रतिशत छूट। टीप:- इस विकल्प में 20 प्रतिशत छूट उपरांत आवेदक द्वारा प्रब्याजी एवं विकास शुल्क की शेष राशि क्रमशः 55 एवं 80 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।	प्रब्याजी एवं विकास शुल्क पर 10 प्रतिशत छूट- प्रचलित प्रब्याजी का शेष 65 प्रतिशत (10 प्रतिशत छूट के साथ) एवं संपूर्ण विकास शुल्क की 50 प्रतिशत राशि 120 दिवस में भुगतान करने पर एवं शेष विकास शुल्क 40 प्रतिशत (10 प्रतिशत छूट के साथ) 12 त्रैमासिक किशतों में बिना ब्याज जमा करने की सुविधा। विकल्प के अंतर्गत त्रैमास की प्रथम किशत भुगतान करने पर भू-खण्ड का अग्रिम आधिपत्य आवेदक को दिया जा सकेगा।	प्रचलित प्रब्याजी का शेष 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत विकास शुल्क 24 त्रैमासिक किशतों में 6 प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज दर पर जमा करने की सुविधा। विकल्प के अंतर्गत त्रैमास की प्रथम किशत भुगतान करने पर भू-खण्ड का अग्रिम आधिपत्य आवेदक को दिया जा सकेगा।

क्र.	चयनित औद्योगिक क्षेत्र जिनमें विकल्प दिया जाना है	विकल्प एक	विकल्प दो	विकल्प तीन
1				
2.	श्रेणी-2 के चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु	प्रचलित प्रब्याजी का शेष 75 प्रतिशत एवं संपूर्ण विकास शुल्क 180 दिवस में भुगतान करने पर, संपूर्ण प्रचलित प्रब्याजी एवं विकास शुल्क पर 5 प्रतिशत की छूट। टीप:- इस विकल्प में 5 प्रतिशत छूट उपरान्त, आवेदक द्वारा प्रब्याजी एवं विकास शुल्क की शेष राशि क्रमशः 70 एवं 95 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	प्रचलित प्रब्याजी का शेष 75 प्रतिशत राशि एवं संपूर्ण विकास शुल्क को 18 त्रैमासिक किश्तों में 6 प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज दर पर जमा करने की सुविधा दी जायेगी। विकल्प के अंतर्गत त्रैमास की प्रथम किश्त भुगतान करने पर भू-खण्ड का अग्रिम आधिपत्य आवेदक को दिया जा सकेगा।	

3. सामान्य शर्तें

किश्तों में भूखण्ड आवंटन के लिए प्रब्याजी एवं विकास शुल्क भुगतान हेतु सामान्य शर्तें

01. इकाई को आवेदन के समय प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत का बुकिंग राशि के रूप में जमा करनी होगी। सभी इकाईयों हेतु आवेदन शुल्क रू. 5000 होगा, उक्त शुल्क के अतिरिक्त जी.एस.टी. राशि पृथक से देय होगी। आवेदन शुल्क वापस योग्य नहीं होगा।
02. चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु विकल्प आवेदन के साथ प्राप्त किया जाएगा। आवेदनकर्ता द्वारा चुने हुए विकल्प अनुसार उपलब्ध छूट/ब्याज प्रभावशील कर आशय पत्र जारी किया जावेगा।
03. अग्रिम आधिपत्य प्राप्त करने की स्थिति में इकाई को समस्त अधिरोपित देयताएं यथा वार्षिक भू-भाटक, संधारण शुल्क एवं सुरक्षानिधि का भुगतान आधिपत्य प्राप्ती की दिनांक से देय होगा।
04. संपूर्ण प्रब्याजि एवं विकास शुल्क के भुगतान से 10 कार्य दिवस में पट्टाभिलेख का निष्पादन करवाना होगा।
05. प्रपत्र में उल्लेखित विकल्पों में से यदि शेष प्रब्याजि एवं विकास शुल्क के भुगतान हेतु त्रैमासिक किश्तों के भुगतान का विकल्प लिया जाता है तो निवेशक चुने हुए विकल्प के परिप्रेक्ष्य में भुगतान योग्य शेष राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर लीजडीड निष्पादन की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
06. निवेशक द्वारा बैंक गारंटी प्रदाय करने के पश्चात् भी विकल्प के अनुसार शेष किश्तों को त्रैमासिक भुगतान समयावधि में करना होगा।
07. निवेशक द्वारा त्रैमासिक किश्तों के भुगतान के विरुद्ध बैंक गारंटी प्रदाय किये जाने पर लगातार तीन त्रैमास में किश्तों के भुगतान में चूक होती है तो बैंक गारंटी जब्त की जाएगी एवं गारंटी के विरुद्ध बैंक से प्राप्त राशि का समायोजन निवेशक से प्राप्त होने वाली शेष राशि के विरुद्ध किया जाएगा।

08. बैंक गारंटी प्रदाय करने के बाद या त्रैमासिक किशतों के भुगतान के विकल्प लेने पर भूखण्ड का अग्रिम रूप से आधिपत्य लेने की स्थिति में उद्योग स्थापना हेतु समयावधि की गणना अग्रिम आधिपत्य की दिनांक अथवा लीजडीड निष्पादन की दिनांक जो पहले हो उस दिनांक से भू-आवंटन नियमों के अनुसार शेष कार्यवाही हेतु गणना की जाएगी व इसका उल्लेख लीजडीड में पृथक से किया जाएगा।
09. तीन से अधिक त्रैमासिक किशतों के भुगतान में चूक की स्थिति में भू-आवंटन के संबंध में की गई संपूर्ण कार्यवाही निरस्त कर यथा आशय पत्र निरस्तीरण के पश्चात भूखण्ड का आधिपत्य वापस ले लिया जायेगा।
10. उपरोक्तानुसार निरस्तीकरण होने पर जमा प्रब्याजि एवं विकास शुल्क की राशि का 50 प्रतिशत वापिसी योग्य होगा।
11. उक्तानुसार निरस्त भूखण्ड के संबंध में अपील प्रचलित प्रावधान अनुसार प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी भोपाल के समक्ष की जा सकेगी।
12. इस योजना के तहत भूमि आवंटन करते समय इस भाग में उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त भू-आवंटन नियम के अन्य सभी (अन्य भागों में उल्लेखित) प्रावधान लागू रहेंगे।
13. औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी का निर्धारण समय-समय पर आवश्यकतानुसार एमपीआईडीसी के संचालक मण्डल द्वारा किया जा सकेगा।
14. नियमों में अस्पष्टता, विवाद की स्थिति में व्याख्या का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा।